UPET010076692023

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, एटा।

उपस्थितः– रविन्द्र कुमार–I, एच0जे0एस0 (यू0पी0 5684)

दांडिक प्रकीर्णवाद सं0–650/2023

राम प्रताप प्रति उ0प्र0 राज्य आदि।

04.06.2024,

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली आज आदेशार्थ नियत है।

आवेदन 5ब अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर पूर्व दिनांक पर सुना जा चुका है।

प्रार्थी रामप्रताप की ओर से प्रार्थना–पत्र 5ब, अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम मय शपथपत्र 9ब इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त रिवीजन में अभियुक्तगण को उचित व समुचित धाराओं में तलब न किये जाने की पूर्व से जानकारी नहीं हो सकी थी। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया था कि अभियुक्तगण को तलब कर लिया गया है। अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.11.2022 की नकल दिनांक 07.10.2023 को मिलने के बाद वकील साहब द्वारा बताये जाने पर हुई कि अभियुक्तगण को उचित व समुचित धाराओं में तलब नहीं किया गया है। तब बाद कानूनी राय मशविरा बिना किसी देरी से यह रिवीजन प्रस्तुत किया जा रहा है। जानकारी की दिनांक व आदेश की नकल मिलने के दिनांक से रिवीजन अन्दर म्याद प्रस्तुत किया जा रहा है फिर भी राय अदालत में यदि रिवीजन बेरून म्याद समझा जावे तो प्रार्थी/रिवीजनिस्ट को धारा 5 म्याद कानून अधिनियम का लाभ दिया जाकर रिवीजन अन्दर मियाद स्वीकार किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना की गयी है कि आवेदक को ध ाारा 5 म्याद कानून अधिनियम का लाभ देते हुए रिवीजन अन्दर म्याद स्वीकार किये जाने की याचना की है।

विपक्षी सं0 01 की ओर से कोई लिखित आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है। मौखिक रूप से तर्क किया गया है कि इस मामले में जो देरी का आधार लिया गया है, वह उचित व पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आवेदक/निगरानीकर्तागण को मामले की पूर्व से जानकारी थी और वह जान–बूझकर उपस्थित नहीं हुए। अतः आवेदन 5ब निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक द्वारा प्रश्नगत् आदेश दिनांक 21.11.2022 की पूर्व से कोई जानकारी न होना कहा गया है। अधिवक्ता के माध्यम से जानकारी होने पर प्रश्नगत् आदेश दिनांक 21.11.2022 की नकल प्राप्त करने हेतु दिनांक 06.10.2022 को नकल सवाल डाला गया तथा नकल दिनांक 07.10.2022 को प्राप्त हुई और नकल प्राप्त होने पर प्रश्नगत् आदेश के विरूद्ध दिनांक 12.10.2023 को यह आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदक द्वारा अपने कथन के समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके विरूद्ध विपक्षी की ओर से खण्डन में कोई प्रतिशपथपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार उचित न्याय–निर्णयन हेतु पक्षकारों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुए मामले का निस्तारण गुण–दोष पर किया जाना चाहिए। अतः 5ब आवेदन न्यायहित में स्वीकार किये जाने और देरी को क्षमा करते हुए निगरानी आवेदन समय सीमा के अन्तर्गत मानते हुए दर्ज किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक का आवेदन 5ब स्वीकार किया जाता है। निगरानी प्रस्तुत करने में हुई देरी को धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत क्षमा करते हुए निगरानी आवेदन समय सीमा के अन्दर माना जाता है।

निगरानी अंगीकरण के बिन्दु पर सुनवाई हेतु दिनांक 10.06.2024 को पेश हो।

(रविन्द्र कुमार–प्रथम)
सत्र न्यायाधीश, एटा।

Digitally signed by Ravindra kumar
Date: 2024.06.04 13:06:50 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court